(66)

मंडल कार्यालय आदेश 27/2024

पत्र स.849-W/10/Safety / 2024/M-1/X

मंडल कार्यालय
उ.प.रेलवे ,जोधपुर
दिनांक 27.08.2023

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रयू नियन्त्रक
जोधपुर एंव मेडता रोड
समस्त लोको पायलट लोको पायलट शंटर एवम् सहायक लोको पायलट

विषयः- **गाडी के संचालन के समय और असामान्य परिस्थितियो में लोको पायलट की ड्यूटी।**

सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है कि अपने नामित सभी रनिंग स्टाफ को ट्रेन संचालन के दौरान अत्यधिक सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने हेतु निम्न बिन्दुओ पर काउंसलिंग करे तथा रिपोर्ट मंडल कार्यालय में जमा करे

4.40. लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेंगे.– जब गाड़ी चल रही है तो प्रत्येक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेगा और सहायक लोको पायलट भी, जब वह अन्यथा कोई आवश्यक काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही करेगा।

स.नि.4.40(क) लोको पायलट और सहायक लोको पायलट यथा स्थिति गाड़ी के संचलन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक सिगनल, की पहचान करेंगे जिसमें कार्य स्थल पर इंजीनियरिंग इन्डीकेटर बोर्ड भी सम्मिलित हैं, जैसे ही वह दिखाई पड़ने लगे, तो वे सिगनल के पहलू **एक दूसरे को बोलकर बताएंगे।**

(ख) डीजल सहायक तथा सहायक लोको पायलट या फायरमैन, जब अन्यथा व्यस्त नहीं होंगे, आवश्यकता पड़ने पर सिगनल का आदान प्रदान करने में लोको पायलट की सहायता करंगे।

(ग) उपर्युक्त 'क' और 'ख' की व्यवस्था, लोको पायलट को किसी भी स्थिति में सिगनल देखने और उनका अनुपालन करने के उत्तरदायित्व से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं करेंगे।

4.41. लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट पीछे की ओर निगाह रखेंगे.– यात्रा के दौरान लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट यह देखने के लिए बार–बार पीछे देखते रहेंगे कि गाड़ी उनके पीछे सुरक्षित और सही ढंग से आ रही है या नहीं।

स.नि.4.41(1) यदि किसी सवारी गाड़ी के लोको पायलट को रात में ब्रेकवान की बगल बत्तियॉ न दिखाई दें तो **स.नि. 6.08** में निर्दिष्ट गाड़ियों के विभक्त हो जाने के समय ली जाने वाली आवश्यक प्रसावधानियों को बरतना चाहिये।

स.नि.4.41(2) जब कोई गाड़ी लाइन पर काम करती हुई किसी गैंग को या फाटक वाले से युक्त किसी समपार फाटक को पार करे, तो लोको पायलट, सहायक लोको पायलट को पीछे की ओर देखकर यह पता लगा लने चाहिये कि गाड़ी ठीक तरह से है और लोको पायलट को फाटकवाला/गैंगमैन द्वारा प्रदर्शित खतरे या दुर्घटना की चेतावनी देने वाला कोई सिगनल तो नहीं मिल रहा है।

6.02 -दुर्घटना होने या संचार साधन फेल हो जाने पर रेल संचालन: - किसी लाइन या किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर, अथवा संचार साधन फेल या अवरुद्ध हो जाने पर या आपात स्थिति में, स्टेशनों के बीच गाड़ियां विशेष अनुदेशो के अनुसार चलाई जाएगी

स.नि.6.02(1)(क)(i)- इकहरी लाइन के सेक्शन में लाइन पर यदि किसी गाड़ी में दुर्घटना होने के कारण परिचालक लाइन पर पूर्णतया रुकावट हो जाने से यदि यह उचित समझा जाए कि किसी दूसरी गाड़ी को सहायता या ट्रांशिप्मेंट के लिए दुर्घटना स्थल के लिए चलाया जाना आवश्यक है तब उसे गाड़ी के लोको पायलट को "रिलीफ इंजन/अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के लिए प्रस्थान प्राधिकार" निर्धारित फार्म **(T/A-602)** पर देकर अवरोधित सेक्शन में भेजा जाएगा| फिर भी ऐसा प्राधिकार देने से पहले किसी परिचालन विभाग के अधिकारी/निरीक्षक का और उसके अनुपस्थिति में इंजीनियरिंग या यांत्रिक विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी/निरीक्षक का लिखित आदेश संबंधित स्टेशन मास्टर के पास होना चाहिए|

(ii) लोको पायलट को दिया प्राधिकार उसका खतरे की जगह जाकर, और वहां से स्टेशन पर वापस आने के लिए प्राधिकार होगा| इस प्राधिकृत फार्म पर वे किलोमीटर, जहां तक उसे अवरोधित सेक्शन में जाना है, लिखे होंगे|

(iii) दिन के समय जब स्वच्छ और साफ दिखाई देता हो तब ऐसी गाड़ी को अवरोधित सेक्शन में जाने या वापस आने के लिए आगे इंजन लगे होने पर गाड़ी की गति **15 kmph** से अधिक नहीं होनी चाहिए और जब साफ नहीं दिखाई देता हो या रात का समय हो, जबकि ब्रेकयान आगे हो, तब गाड़ी की गति **10 kmph** तक प्रतिबंधित होगी| जब ब्रेकयान आगे हो, गाड़ी का गार्ड सबसे आगे के ब्रेकयान में रहेगा और आवश्यक हैंड सिग्नल लोको पायलट को दिखाता रहेगा| **10 kmph** की प्रतिबंधित गति पर जाते समय इंजन की सीटी लगातार बजनी चाहिए| अवरोधित क्षेत्र में खतरे की जगह भेजी गयी गाड़ी के पीछे का बचाव सा.व स. नियम 6.03 के अनुसार किया जाना चाहिए|

66/1

(ख) (i)- "प्राधिकार" पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए की गाड़ी का काम पूरा होने पर गाड़ी वापस आएगी या अवरोधित जगह पर ही ठहरेगी जब तक की पिछली गाड़ी जिसको भेजना आवश्यक हो वहां पहुंचकर वापस न लौटे| दूसरी गाड़ी के लोको पायलट को भी "रिलीफ इंजन/अवरोधित ब्लाक खंड में गाड़ी के लिए प्रस्थान प्राधिकार" निर्धारित फार्म (T/A-602) दिया जाएगा और उसी फार्म पर लिखा जाएगा कि अन्य गाड़ी भी इस अवरोधित सेक्शन में ___ बजे गई हुई है|

(ii) अवरोधित सेक्शन में जाते समय दूसरी गाड़ी की गति 8 kmph प्रतिबंधित रहेगी |

(ग) दोहरी लाइन के सेक्शन पर यदि दोनों लाइन अवरोधित हो तो आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियां दोनों अवरोधित लाइनो पर उपयुर्क्त अनुच्छेद(क) में कथन अनुसार भेजी जा सकेगी परंतु हर एक अवरोधित लाइन के सेक्शन पर एक समय एक ही गाड़ी होनी चाहिए | यदि दोनों में से एक ही लाइन पर रुकावट हो तो उपयुर्क्त अनुदेश के उप अनुच्छेद (क)व(ख) के अनुसार अवरोधित लाइन पर गाड़ी भेजी जाएगी ।

स.नि.6.07(i) लोको पायलट और/या गार्ड को ट्रैक में किसी असामान्य स्थिति के बारे में जानकारी होने पर, जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है और वह समझता है कि ट्रैक का वह भाग जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है, बाद में आने वाली गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए हानिकारक है तो वह निम्न कार्रवाई करेगा:-

(क) ब्लॉक सेक्शन को साफ किए बिना अपनी गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन पर रोक दे और उपलब्ध दूरसंचार साधन के माध्यम से स्टेशन मास्टर को सूचित करें की इकहरी लाइन पर प्रभावित भाग के दोनों ओर से और दोहरी लाइन पर पिछले स्टेशन से, कोई भी गाड़ी ना भेजें| आईबीएस और स्वचल ब्लॉक पद्धति के मामले में, लोको पायलट स्टेशन मास्टर तथा पिछले स्टेशन को पहले ही छोड़ चुकी गाड़ी के लोको पायलट को उपलब्ध दूरसंचार साधन के माध्यम से गाड़ियों के संचालन को रोकने के लिए सूचित करेगा |

(ख) वह स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही वह आगे बढ़े कि स्टेशन मास्टर स्पष्ट रूप से समझ चुका है कि जब तक घटना का विवरण दर्शाता हुआ लिखित मीमो लोको पायलट से स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक लाइन पर किसी अगले संचालन की अनुमति न दे| वह स्टेशन मास्टर को लिखित मीमो सौंपने के लिए दोबारा स्टेशन पर सुविधाजनक स्थान पर रुकेगा|

स.नि. 6.07(3) यदि लोको पायलट और/या गार्ड, लाइन के नजदीक की ट्रैक पर या उसके नजदीक, जिस पर उसकी गाड़ी गुजर चुकी है, कोई रुकावट या अन्य कोई असुरक्षित स्थिति महसूस करता है तथा जो उसकी राय में सुरक्षित गाड़ी संचालन के लिए हानिकारक है तो वह निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा –

(क) अपने लोको की फ्लैशर लाइट का स्विच तुरंत ऑन कर देगा |

(ख) संबंधित स्टेशन मास्टरो/ नियंत्रक को उपलब्ध संचार साधनों के माध्यम से सूचित करें और साथ-साथ

(ग) अपनी गाड़ी को रोक दे सामान्य नियम 3.62 के अनुसार लाइन का बचाव करने के लिए खतरे के हाथ सिगनलों के साथ आगे बढ़े |

(घ) तत्पश्चात फ्लेशर लाइट को ऑन रखते हुए सावधानी पूर्वक अगले स्टेशन के लिए यात्री जारी रखेगा|

(ड) वॉकी-टॉकी या अन्य उपलब्ध संचार साधनों के द्वारा सूचित करके तथा खतरे का हाथ सिग्नल का प्रदर्शन करके प्रभावित स्थान पर आने वाली गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहे |

(च) अगले स्टेशन पर आने पर वह घटना के बारे में लिखित मीमो के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा |

(छ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा सहायक नियम 6.07(1)(ग)से(च) के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए |

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प. रेलवे ,जोधपुर

प्रतिलिपि –
मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक(परि.),सादर सूचनार्थ
वरी.मंडल संरक्षा अधिकारी, सादर सूचनार्थ